

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-01/2020-21

महेश मिश्रा ..... प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य ..... द्वितीय पक्ष

**आदेश**


आवेदक महेश मिश्रा, पिता- भुनेश्वर मिश्रा, साकिन- पथलडीहा, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल-खारिज वाद संख्या 163 R27/2018-19 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा
जरमुने	108	193	1447	01 डी०

अभिलेख में संलग्न अंचल कार्यालय बगोदर के दाखिल खारिज वाद संख्या 163 R27/2018-19 में दिनांक 18.03.2019 को पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा खतियान की प्रति को ऑनलाईन अपलोड नहीं किये जाने के कारण नामान्तरण वाद को अस्वीकृत किया गया है। आवेदक द्वारा अपने कारण पृच्छा में उक्त भूमि से संबंधित खतियान की प्रति उपलब्ध कराया गया है।

तदनुसार अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 163 R27/2018-19 में दिनांक 18.03.2019 को पारित आदेश से सहमत नहीं होते हुए पुनः नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी बगोदर को remand किया जाता है। आवेदक पुनः ऑनलाईन आवेदन कर सभी document को upload करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।



भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)



भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)